

उत्तर प्रदेश के पिछड़े भेद

1507. श्री नारेंद्रवर हिंदेवी : क्या प्रश्न मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पिछड़े भेद के लिये पटेल आयोग के अन्तर्गत जौनपुर ज़िले को मंड़वार कितनी राशि मंजूर की गई और आ तक कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) क्या जौनपुर के लिये मंजूर की गई राशि का कुछ भाग आजमगढ़ को दिया गया है और यदि हाँ, तो कितना ?

प्रधान मन्त्री वा उपरिकृत मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के विकास कार्यक्रमों पर 1964-65 से 1966-67 तक के परिव्ययों तथा व्यय को दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [पुस्त हाज़ार में रखा गया। देखिये संलग्न LT-181/68]

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जौनपुर ज़िले के लिए निर्धारित परिव्यय में से कोई भी धनराशि आजमगढ़ ज़िले को नहीं दी गई।

परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के बारे में सन्धि

1508. श्री ओ० प्र० त्यागी : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के बारे में वर्तमान संधि के अनुसार परमाणु विज्ञान की जानकारी किन-किन देशों तक सीमित करने का विचार है ; और

(ख) भारत को अणुबम बनाने की क्षमता रखने वाले देशों की सूची में सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं जब कि भारतीय

वैज्ञानिक अणु बम तैयार कर सकते हैं और उसका विस्फोट कर सकते हैं।

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). अट्टारह राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण नीति में अमरीका और सोवियत संघ ने 18 जनवरी 1968 को एटमी हथियारों का विस्तार न करने की संधि का जो संशोधित मसीदा प्रस्तुत किया था, उसमें संधि के पश्चात गैर-एटमी हथियार वाले राज्यों को मना किया गया है कि वे एटमी हथियारों का विकास न करें अथवा उन्हें प्राप्त न करें अथवा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी एटमी विस्फोटक अस्त्र प्रहरण न करें। इस प्रकार का प्रति न्य संधि के पश्चात एटमी हथियार वाले राज्यों पर लागू नहीं होता। लेकिन संधि के पश्चात उभी राज्यों को उत्तर्युक्त प्रतिवर्त्य के अधीन रहने हुए, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए एटमी शक्ति का विकास अनुसंधान, उत्पादन और उपयोग करने का अधिकार होगा। संधि के मसीदे के अनुसार, एटमी हथियार वाला राज्य वह है जिसने 1 जनवरी 1967 से पूर्व एटमी हथियार ना लिया हो और उतका या अन्य एटमी विस्फोटक अस्त्र का विस्फोट कर लिया हो। इस कोटि ने अमरीका, सोवियत संघ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन लोक गणराज्य आते हैं।

Thumba Rocket Launching Base

1509. SHRI D. C. SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Thumba Rocket Launching Base has been opened for International use for space research;

(b) if so, the countries who have asked for the use of the base;

(c) whether China has criticised the opening of the base for international use in its broadcasts; and